

निगम-5207/2018/रीवा/भूरा०
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट, रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक.....



मातादीन साकेत तनय स्व० रामगरीब साकेत (जाति चर्मकार) निवासी ग्राम
सुरसा-खुर्द, तहसील रायपुर कर्चु०, जिला रीवा (म०प्र०)-आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

समयलाल तनय रामाधार चर्मकार, निवासी ग्राम सुरसा-खुर्द, तहसील रायपुर कर्चु०,
जिला रीवा (म०प्र०) अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध कार्यवाही सीमांकन
पुष्टिकरण आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त
मनिकवार, पटवारी हल्का सुरसा नं. 16,
तहसील रायपुर कर्चु०, जिला रीवा, प्रकरण
क्रमांक 71/ए-12/2017-18 पुष्टिकरण
आदेश दिनांक 10.07.2018 ।

निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) अन्तर्गत धारा
50 म०प्र०भू० राजस्व संहिता, 1959 ई.।

मान्यवर,

मामला संक्षिप्त में-

आराजी स्थित ग्राम सुरसा-खुर्द खसरा नम्बर- 391/4 के वटा /ख०क०
391/4/1, रकवा 0.37^{1/2} डि०, ख०क० 0391/4/2 रकवा 0.15 डि० एवं
391/4/3 रकवा 0.7^{1/2} डि० के सीमांकन बावत पृथक-पृथक आवेदन समयलाल,
हृदयलाल, मोतीलाल पिता रामाधार साकेत(तीनों सगे भाईयों) द्वारा राजस्व निरीक्षक
मण्डल मनिकवार, तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा के समक्ष एक ही दिन दि० 11.12.
2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता (माननीय न्यायालय में
आवेदक/निगरानीकर्ता) को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी हुई जो कि भूमि
ख०क० 391/3 का सीमावर्ती कृषक भूमिस्वामी है, जो दक्षिण दिशा में स्थित है।

राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों पर पृथक-पृथक प्रकरण
क्रमांक 71/अ-12, 70/अ-12, 69/अ-12/17-18 कायम किया जाकर
कार्यवाही में लिया गया। सूचना-पत्र के तामिली में प्रार्थी/आवेदन ने हस्ताक्षर
किया किन्तु मौके से सीमांकन सरहदी कृषकों के समक्ष तथा सभी के जानकारी में


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5207 / रीवा / भू-रा0 / 2018

जिला-रीवा

मातादीन साकेत / समयलाल चर्मकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चु0 के प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

AT